Proposal to Entrust Panchayats with Monitoring of PDS and FPS

2262. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government propose to entrust Panchayats with monitoring the PDS and fair price shops;

(b) whether any plan has been foimu-lated in this regard; and

(c) if so, the outlines thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) Yes, Sir. State Governments/UT Administrations have been requested to involve the Panchayats in supervising and overseeing the working of Public Distribution System. They have also been requested that Panchayat Presidents should be informed of the allocation and actual offtake- of essential commodities for the Fair Price Shops within their territories. In addition they have been requested to ensure that Review of working of P.D.S. is a subject in the regular meetings of Panchayats.

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को प्राप्त हुई शिकायतें

2263. **श्री रामजीलाल:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 -96 के दौरान और 1996-97 में फरवरी, 1997 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) कितने मामलों का निपटारा कर दिया गया है और वर्ष 1995-96 और 1996-97 में संबंधित कितने मामले लम्बित है;

(ग) इन लम्बित मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा; और

(घ) इन मामलों को निपटाने के लिए उनकी प्राभमिकता निर्धारण संबंधी मानदण्ड क्या है?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरन मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रासद यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी गई गई सूचना के अनुसार प्राप्त हुई निपटाई गई और अनिर्णीत शिकायतों की पंचांग वर्षवार रखी गई संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	प्राप्त शिकायतें की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं0	वर्ष के दौरान अनिर्णीत्त शिकायतों की संख्या
1995	1960	1658	981	677
1996	2432	1594	4215	2017
1997 (फरवरी, 97 तक)	399	208	6	399

(ग) सभी अनिर्णीत्त मामलों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है । जैसे ही किसी मामले के सुनवाई की बारी आ जाएगी उसे अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्व कर दिआ जाएगा।

(घ) जैसे ही कोई मामला दायर किया जाता है वैसे ही उसे संस्था के रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है और उसे एक रजिस्ट्रेशन नम्बर दे दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर उनकी दी गई वरीयता के अनुसार सुनवाई और निपटान के मामलों को आयोग के समक्ष सूचीबद्व किया जाता है।